

हिन्दू

दलित उत्पीड़न मामले में गैरहाजिर गिरफ्तार

बहराइच। जरवलरोड थाने में तैनात दरोगा रंजीत भारती, मुख्य सिपाही कमलेश यादव, सिपाही विकास कुमार ने रेवड़ा गांव में दबिश दी। पुलिस ने भक्तिनपुरवा निवासी पेशकार को कोर्ट से गैर हाजिर रहने पर वारंट होने के चलते गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक बहराइच के कुशल निर्देशन में थाना जरवल रोड पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट के अनुक्रम में धारा 323, 504, 506 भा.द.वि. व एस.सी./एस.टी. से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को किया

प्रेस विज्ञापित



प्रेस विज्ञापित



थाना जरवल रोड जनपद बहराइच

माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट के क्रम में 01 नफर वारण्टी गिरफ्तार थाना जरवल रोड बहराइच।

दिनांक - 29.09.2024

थाना - जरवल रोड

विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री रामानन्द कुशवाहा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कैसरगंज श्री अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में मुझ थानाध्यक्ष बृजराज प्रसाद के कुशल नेतृत्व में गठित टीम 30नि0 रंजीत भारती मय हमराह हे0का0 कमलेश यादव व का0 विकास कुमार द्वारा माननीय न्यायालय बहराइच द्वारा जारी वारण्ट तामिला के क्रम में 1. मु0न0 256/17 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द SC ST ACT से सम्बन्धित वारण्टी पेशकार पुत्र सोहन लाल निवासी भक्तिनपुरवा दा0 रेवड़ा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को आज दिनांक 29.09.2024 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुलिस सुरक्षा में भेजा गया।

विवरण अभियुक्त:- 1. पेशकार पुत्र सोहन लाल निवासी भक्तिनपुरवा दा0 रेवड़ा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच गिरफ्तारी टीम:- 30नि0 रंजीत भारती मय हमराह हे0का0 कमलेश यादव व का0 विकास कुमार थाना जरवल रोड जनपद बहराइच

फोटो

